हेतु न्यायहित में अवसर दिया जाकर आदेश हुआ

दिनांक 29/06/22 को पेश हो।

29/06/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली मौका रिपोर्ट के इंतजार मे चल रही है। जबकि पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वकील अप्रार्थीगण की [illegible] मनन किया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन [illegible]। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 263/2021

पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी — 1. अब्दुला पुत्र दलू जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण — 1. आहमद अली 2. इब्राहीम 3. हामिदुला 4. ओसमान पि. दलू
5. इदल पुत्र असरफ 6. सैफल 7. तैयब 8. उरस पि. वली मोहम्मद
9. लखाना 10. वहियाखान 11. कासम खान 12. मुसाखान
13. ईसाखान 14. सलामखान पि. दोस्तअली 15. खातू पत्नी दोस्तअली
18. राणी पत्नी सादी 19. मोहमद अली 20. सादीक अली पि. साहेब
21. जादुल पत्नी साहेब 22. असरफ 23. सालख पि. सिन्धल
जातियान मुसलमान निवासी एहसान का तला तहसील धनाऊ
24. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
25. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा सेड़वा।
26. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

अधिवक्तागण — प्रार्थी वकील — **श्री मुकीम खान समेजा**
विप्रार्थी संख्या 5 से 23 के वकील — **श्री हासम खान**

निर्णय

दिनांक :— 29.06.2022

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 के संयुक्त पैतृक खातेदारी एवं कब्जे—काश्त के खेत मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला तहसील धनाऊ में खाता संख्या 23 के खेत खसरा संख्या 331/168 रकबा 106.02 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला तहसील धनाऊ में खाता संख्या 52 खेत खसरा संख्या 240/13 रकबा 63.10 बीघा [illegible] आये हुए है। मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला [illegible] का तला तहसील सेड़वा में खाता संख्या 23 खेत खसरा [illegible] रकबा 106.02 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि व मौजा एहसान का तला पटवार हल्का [illegible]हान का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला मे खेत खसरा संख्या 52 खेत खसरा संख्या 240/13 रकबा 63.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

केस्म बारानी सोयम के आये हुए है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता दलु पुत्र सादी के फौत होने से उसकी फौतगी का नामान्तरण नही पारित किया गया इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का अपने पिता दलु के 6/23 हिस्सा का 1/5 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण आराजी में 6/115 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 का खातेदारी में बनता है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा ढाणी, चारागाह इत्यादि बना हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में हिस्से नहीं खुले होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से में अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में है इसलिए प्रार्थी मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला तहसील सेड़वा में खाता संख्या 23 खेत खसरा संख्या 331/168 रकबा 106.02 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि व मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला में खेत खसरा संख्या 52 खेत खसरा संख्या 240/13 रकबा 63.10 किस्म बारानी सोयम में प्रार्थी का 6/115 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु उक्त वाद वास्ते घोषणा का प्रस्तुत है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के आपस में बाहमी तौर से बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन कानूनी रूप से विभाजन किया हुआ नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने के लिए व उसे अधिक उपजाऊ बनाने में भारी परेशानियों आने से व हर वर्षात के समय प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के आपस में सेढो बाबत् विवाद पैदा होने से अभी 15 रोज पूर्व प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि में से विप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां दी जिससे अधिक विवाद पैदा होने से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का मौके एवं कब्जा–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा कर पृथक करवाने का अधिकारी है, जिसके लिए यह वाद विभाजन का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा अपने हिस्से की भूमि में रहवासी ढाणियां, चारागाह, पशुबाड़े इत्यादि बने हुए है। प्रार्थी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण व बंटवाड़ा नहीं किए होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि में जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थी को धमकियां दे रहे है कि यदि वह प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने में सफल नहीं हुए तो वह प्रार्थी की उक्त भूमि का बेचान अन्य किसी सरजोर व्यक्तियों को कर देंगे तथा अन्य सरजोर व्यक्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

की मदद से प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगें, यदि विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिए प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे, व उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 263/2021 दिनांक 03.12.2021 मौजा एहसान का तला पटवार हल्का बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 331/168 रकबा 106.02 बीघा व खसरा संख्या 240/13 रकबा 63.10 बीघा भूमि में आराजी खसरों में विप्रार्थीगण के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

उभयपक्षकारान वकील उप0। विप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया। विप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 5 से 23 की ओर से निम्नानुसार है– प्रार्थीगण द्वारा उक्त आशय का एक वाद मनगढन्त तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है लेकिन उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना नहीं है। राजस्व रेकर्ड अनुसार सही होने से स्वीकार है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के पिता स्व. दलु का 6/23 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। इस बाबत् विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। मौके पर विप्रार्थीगण रहवासी ढाणियां, चारागाह, पशुबाडे पुरानी मांठे, सेढे बने हुए है तथा विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक तरिके से कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा पक्षकारान के मध्य में किसी भी तरह का कोई विवाद नही है। उक्त वाद में तथ्य गलत होने से खारीज किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पूर्णतया मनगढन्त तथ्य अंकित करवाये गये है। विप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकियां नही दी गई तथा न विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी की। विप्रार्थीगण एक रेकर्डेड खातेदार है। जिसक[illegible] भूमि पर प्रत्येक इंच पर बराबर का हक है। प्रार्थी रेकर्डेड खाते[illegible] अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन प्राप्[illegible] कठिनाईयो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO मंडवा

सामना करना पड़ रहा है, वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश होने से विप्रार्थीगण को अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु ऋण इत्यादि लेने में कठिनाईयों हो रही है, वर्तमान में भूमि की बढ़ती हुई किमतों को देखते हुए प्रार्थी के मन में लालसा जग गई है वो विप्रार्थीगण की जमीनों को हड़पना चाहता है इसी नियम से वो उक्त भूमि पर स्थगन प्राप्त कर विप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए आमदा है। वादग्रस्त भूमि पर स्थगन जारी किया जाता है विप्रार्थीनी को अपूरणी क्षति होगी जिससे वो अपनी भूमि को उपजाऊ नही बना सकेगा। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं में एक भी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थना पत्र काबिले खारीज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय की आड में एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवाया है। एकतरफा स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया में व्याधान पैदा करने की नियत से, सारहीन व बिना किसी आधार के गलत, मनगढत तथ्यों के आधार पर लिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत् एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश की आड में विप्रार्थी को बेवजह परेशान किया गया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 263/2021 दिनांक 03.12.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested